


30<sup>4</sup>  
26

पत्रावली पेसा वकीलवादी हाजिर। वकील  
वादी का पूर्व में भी नोटिस/समग हेतु  
अंतिम दिखायत ही गयी थी लेकिन इसके  
बावजूद भी वकीलवादी ने आज दिनांक

तक तामिल की कशीड पैरा मली की अरः

वाडी का वाड आडेवा १ नियम ५ के तहत  
खारिज किया जाता है पत्रावली फॉलम  
शुमाउ लीकर नम्बर के कम होकर दाखिल

हफ्तक ही



उपखण्ड अधिकारी  
वातासमगढ़